न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 804 / दावा / 2016
(पूर्व मि0नं0 474 / 12)
दायरा दि0 28 / 03 / 2012

उनवान

1. शिवप्रसाद वल्द किशनलाल जाति माली निवासी खानपुर तह0 खानपुर
2. जगदीश वल्द किशनलाल जाति माली निवासी खानपुर तह0 खानपुर
3. सूरजीबाई पुत्री किशनलाल जोजे बद्रीलाल जाति माली निवासी कनोटिया तह0 अटरू जिला बारां

— वादी

बनाम्

1. रमेश वल्द कन्हैयालाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
2. बद्रीलाल वल्द कन्हैयालाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
3. भूपेंद्रकुमार वल्द कन्हैयालाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
4. पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल बेवा शम्भूदयाल जाति माली निवासी पुराना डॉकघर के पास झालावाड़
5. ललताबाई पुत्री कन्हैयालाल जोजे नामालूम जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन मस्जिद वाली गली कोटा जंक्शन तह0 लाडपुरा कोटा
6. कन्हैयालाल वल्द भवरलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री इन्दरलाल गुप्ता अधिवक्ता – वादी
श्री मुरलीमनोहर गुप्ता अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 10 / 07 / 2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर. टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम देवपुरा उर्फ नयागांव के माल में प्रताप वल्द सांवला जाति माली निवासी पिपलाज के खातेदारी में सेटलमेंट के बाद सेटलमेंट जमाबंदी सं0 2028–46 की खतौनी सं0 77 की ख0नं0 73 की 3.06 बीघा आराजी स्थित थी। ग्राम पिपलाज के माल में खतौनी सं0 263 की ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा, कुल 2 किता की 6.12 बीघा आराजी प्रताप वल्द सांवला के खातेदारी में स्थित थी। ग्राम पिपलाज में जमाबंदी सं0 2052–55 की खतौनी सं0 478 की ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा आराजी छोटीबाई बेवा प्रताप माली की गैरखातेदारी में स्थित थी। इसी प्रकार ग्राम पिपलाज में ख0नं0 301 की 0.19 बीघा आराजी छोटीबाई बेवा प्रताप के खातेदारी में स्थित थी। प्रताप उर्फ रामप्रताप खातेदार के वारीसान उसकी पत्नि छोटीबाई, पुत्रियां भंवरीबाई, कंवरीबाई तथा रामकिशन थे। रामकिशन 45 वर्ष पूर्व ही प्रताप के जीवनकाल में ही लाऔलाद मर गया था। प्रताप 40 वर्ष पूर्व फौत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी धर्मपत्नि छोटीबाई तथा पुत्रियां भंवरीबाई एवं कंवरीबाई वारिस बनी। भंवरीबाई भी प्रताप के जीवनकाल में ही फौत हो गयी थी। भंवरीबाई के वारीसान उसकी पुत्री सूरजीबाई तथा पुत्र शिवप्रसाद, जगदीश है। इस प्रकार वादीगण 1 लगा0 3 का वादग्रस्त आराजी में 1 / 2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

बनता है, जिसके वह वैद्य खातेदार टीनेंट हैं। ग्राम देवपुरा की आराजी का नामा0सं0 201 दिनांक 3.08.1991 को कंवरीबाई तथा छोटीबाई के नाम तहसीलदार सा0 द्वारा तस्दीक किया गया और जमाबंदी सं0 2045–48 की खाता सं0 68 में यह नोट दर्ज किया गया कि मृतक प्रताप के वारीसान बेवा छोटीबाई, पुत्री कंवरीबाई तथा पुत्री का पुत्र जगदीश, शिवप्रसाद है। छोटीबाई की मृत्यु होने पर नामा0सं0 241 दि0 18.12.95 से छोटीबाई का नाम हटाया गया परंतु यहां भी छोटीबाई के वारीसान उसकी पुत्री भंवरीबाई की संतानों के नाम नामान्तरण तस्दीक नहीं किया गया। ग्राम पिपलाज की आराजी में रामप्रताप उर्फ प्रताप की मृत्यु होने पर रामप्रताप के स्थान पर उसकी धर्मपत्नि छोटीबाई के नाम नामान्तरण स0 299 दि0 15.02.83 को तहसीलदार सा0 द्वारा तस्दीक कर दिया गया और बतौर खातेदार छोटीबाई का नाम दर्ज कर दिया। छोटीबाई की मृत्यु होने पर नामा0 सं0 771 द्वारा छोटीबाई के स्थान पर सिर्फ कंवरीबाई पुत्री के नाम ही इंतकाल तस्दीक किया गया। उस समय भी भंवरीबाई की संतानों के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया जो कानून विरूद्ध था। छोटीबाई के वारिस उसकी पुत्री भंवरीबाई तथा भंवरीबाई मृतक पुत्री की संतान वादीगण भी वारीसान थे और खातेदार दर्ज किये जाने योग्य थे। इसी आधार पर आगे की जमाबंदियात में भी छोटीबाई के बाद कंवरीबाई अकेले का ही नाम दर्ज होता रहा है। ग्राम पिपलाज की ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा जो छोटीबाई के गैर खातेदारी में दर्ज थी वह नामा0सं0 854 से छोटीबाई के खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। छोटीबाई के मरने के बाद यह आराजी भी नामा0सं0 771 से सिर्फ कंवरीबाई के नाम दर्ज की गयी है, जिसमें हमें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार नामा0सं0 201, 241, 299, 771 कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध खोले गये है। अतः प्रभावहीन है और कानूनन नामान्तकरण प्रकिया सिर्फ फिस्कल उद्धेश्य के लिये ही मान्य होती है, इनसे किसी के अधिकार का निपटारा नहीं माना जा सकता है और न ही सह खातेदार एवं वारीसान के अधिकार समाप्त होते हैं। कंवरीबाई की मृत्यु दिसम्बर 2011 में हो गयी है, उसके वारीसान उसके पुत्र रमेश, बद्रीलाल, भूपेंद्रकुमार, पुत्रियां पुष्पा, ललता, तथा पति कन्हैयालाल है, जिनको प्रतिवादी बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी का अभी विभाजन नहीं हुआ है, आराजी पर शामिल में ही कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का बांट बराबर से खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा हमारे 1/2 हिस्से का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन किया जाकर पृथक खाता दर्ज किया जावे तथा हमारे हिस्से में आने वाली आराजी पर नाप कर कब्जा दिलाया जावे। साथ ही नामा0 सं0 201, 241, 299, 771को वादीगण के टीनेंसी अधिकारों के प्रति बेअसर घोषित किया जावे। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रति0 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साथ ही प्रति0नं0 1 लगा0 5 की ओर से श्री मुरलीमनोहर गुप्ता एडवोकेट ने वादीगण के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाबदावा पेश किया कि वादीगण का वाद प्रताप उर्फ रामप्रताप एवं छोटीबाई के उत्तराधिकारी होने, नहीं होने के निर्धारण के संबंध में है, जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है, जिस कारण वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। नामा0सं0 201, 241, 299, 771 के संबंध में वर्षों उपरांत अब कार्यवाही करने का अधिकार वादीगण को नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। अपितू खातेदार कंवरीबाई के फौत होने के बाद से ही प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं। वादीगण वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार हैं और न ही कब्जेदार है, ऐसे में यह खाता विभाजन के अधिकारी नहीं हैं। इनका वाद खारिज किया जावे। वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया ग्राम पिपलाज की आराजी के संबंध में नामा0सं0 299 दि0 15.02.1983 भंवरबाई पुत्री प्रताप की संतानों के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं होने से वह वादीगण के टीनेंसी अधिकारों के प्रति प्रभावहीन है तथा नामा0सं0 771 दि0 18.12.1995 सिर्फ कंवरी के नाम तस्दीक कर दिया। छोटी की संतान का भंवरी नाम भी छोड़ देने से अवैद्ध हैं ? उक्त

उपखण्ड अधिकारी

नामान्तकरण के तस्दीक के समय वादीगण से कोई पूछताफ नहीं की गई थी। इसका वाद पर क्या असर है ? – वादी

2. आया वाद की मद नं0 1, 2, 3, 4 में वर्णित आराजी का कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा शामिल में कब्जे में चली आ रही है ? – वादी
3. आया कंवरीबाई के वारीसान में भूपेंद्रकुमार को बद्रीलाल तथा बद्रीलाल को रामस्वरूप कहते हैं ? – प्रतिवादी
4. आया जमाबंदी संख्या 68 संवत् 2045–48 में लगाया गया नोट बाद में बढ़ाया गया है। यदि हाँ तो इसका वाद पर क्या प्रभाव होगा ? – प्रतिवादी
5. आया वाद कारण 20.02.2012 को उत्पन्न नहीं हुआ है ? – प्रतिवादी
6. आया वाद प्रताप उर्फ रामप्रताप के एवं छोटी के वारिसान से संबंधित है। अतः वाद दीवानी न्यायालय के श्रवणनीय है ? – प्रतिवादी
7. आया नामान्तरकरण सं0 201, 246, 299, 771 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करने से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ? – प्रतिवादी
8. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी 1 लगा0 5 का कंवरीबाई के फौत होने के बाद में बहैसियत खातेदार काबिज हैं, इसका क्या प्रभाव है ? – प्रतिवादी
9. अनुतोष

वादीगण ने अपने पक्ष की तनकीयात के समर्थन में वादी शिवप्रसाद, गवाह श्रीलाल जाट के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp15 प्रदर्श कराये। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने भी अपनी तनकीयात के समर्थन में प्रतिवादी रमेश उर्फ अशोककुमार माली, गवाह हेमराज माली के बयान दर्ज कराये गये। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य उभय पक्ष बंद की जाकर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वाद के पेरा सं0 1 लगा0 4 में वर्णित ग्राम देवपुरा की 3.06 बीघा, ग्राम पिपलाज की 6.12 बीघा, 5.02 बीघा वादग्रस्त आराजी, प्रताप की खातेदार में थीं। इसी प्रकार ग्राम पिपलाज की 0.19 बीघा वादग्रस्त आराजी छोटीबाई बेवा प्रताप के खातेदारी की है। प्रताप व छोटीबाई फौत हो चुके हैं। इनके वारीसान भंवरीबाई, कंवरीबाई, रामकिशन थे। पुत्र रामकिशन, खातेदार प्रताप के जीवनकाल में ही लाऔलाद फौत हो चुका है। पुत्री भंवरीबाई भी प्रताप के जीवनकाल में ही फौत हो गयी है, इसके वारीसान पुत्री सूरजीबाई, पुत्र शिवप्रसाद, जगदीश अर्थात वादीगण हैं। इनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार पुत्री कंवरीबाई भी फौत हो चुकी है, जिसके वारीसान रमेश, बद्रीलाल, भूपेंद्रकुमार, पुत्रीयां पुष्पाबाई, ललताबाई तथा पति कन्हैयालाल है, जिनको वाद में प्रतिवादी बनाया गया है। खातेदार प्रताप के फौत होने पर उसके वारीसान बेवा छोटीबाई, पुत्री कंवरीबाई व पुत्री भंवरीबाई के वारीसान के नाम इंतकाल न खोलकर केवल बेवा छोटीबाई, पुत्री कंवरीबाई के नाम ही इंतकाल खोला गया है जो कानून विरूद्ध है। इसीप्रकार खातेदार छोटी बाई के फौत होने पर भी केवल कंवरीबाई के नाम ही नामान्तरण खोला गया है, जबकि दूसरी पुत्री भंवरीबाई के वारीसान मौजूद हैं। वादग्रस्त सभी नामान्तरकण सं0 201, 241, 299, 771 को तस्दीक करते वक्त हमें सुना नहीं गया है। ऐसे में यह इंतकाल हमारे खातेदारी अधिकारों पर शून्य हैं। वैसे भी नामान्तकरण की प्रकिया एक फिसकल प्रोसेडिंग है जिससे प्रतिवादीगण के कोई अधिकार श्रृजित नहीं होते। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। हमारा दावा डिक्री किया जावे व हमें वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। साथ ही हमारे 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाकर कब्जा भी दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण ने एक भी दस्तावेज ऐसा पेश नहीं किया है, जिससे यह

उपखण्ड अधिकारी

साबित होता हो कि भंवरीबाई खातेदार प्रताप की पुत्री हो। दावे में रामप्रताप को 40 वर्ष पूर्व फौत होना अंकित किया है, जबकि इन्होने अपने बयानों में 60 वर्ष पूर्व फौत होना कहा है। इंतकाल नं0 201 में भंवरी का कोई जिक्र नहीं है। अन्य इंतकालों में भी भंवरी का कोई अंकन नहीं है। उत्तराधिकारों के निर्धारण का क्षैत्राधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को ही है। इन्होने उक्त इंतकालों की कोई अपील नहीं की है। इन्होंने विरासत का कोई प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है। नामा0सं0 201, 241, 299, 771 के संबंध में वर्षों उपरांत अब कार्यवाही करने का अधिकार वादीगण को नहीं है और न ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा रहा है। अपितू खातेदार कंवरीबाई के फौत होने के बाद से ही प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं। वादीगण वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार हैं और न ही कब्जेदार है, ऐसे में यह खाता विभाजन के अधिकारी भी नहीं हैं। अतः इनका वाद खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

1. आया ग्राम पिपलाज की आराजी के संबंध में नामा0सं0 299 दि0 15.02.1983 भंवरबाई पुत्री प्रताप की संतानों के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं होने से वह वादीगण के टीनेंसी अधिकारों के प्रति प्रभावहीन है तथा नामा0सं0 771 दि0 18.12.1995 सिर्फ कंवरी के नाम तस्दीक कर दिया। छोटी की संतान भंवरी का नाम भी छोड देने से अवैद्ध हैं उक्त नामान्तकरण के तस्दीक के समय वादीगण से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। इसका वाद पर क्या असर है ? – वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण ने यह वाद इस आशय का पेश किया है कि वह प्रताप पुत्र सांवला व छोटी बेवा सांवला की पुत्री भंवरीबाई के पुत्र हैं। ग्राम देवपुरा के नामा0 सं0 201, 246 एवं ग्राम पिपलाज के नामा0 सं0 299, 771 कानूनी प्रावधानों के विपरीत खोले जाने से इनको वादीगण के अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाकर प्रताप वल्द सांवला व छोटीबाई बेवा प्रताप जाति माली निवासी पिपलाज के खाते की ग्राम देवपुरा उर्फ नयागांव की ख0नं0 73 की 3.06 बीघा, ग्राम पिपलाज की खतौनी सं0 263 की ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा, कुल 2 किता की 6.12 बीघा, ग्राम पिपलाज की जमाबंदी सं0 2052–55 की खतौनी सं0 478 की ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा एवं ग्राम पिपलाज की ख0नं0 301 की 0.19 बीघा आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर हमारे हिस्से का विभाजन किया जावे।

Exp1 नकल सेटलमेंट जमाबंदी सं0 2028–47 ग्राम देवपुरा उर्फ नयागांव खतौनी सं0 77 है, जिसमें ख0नं0 73 की 3.06 बीघा आराजी प्रताप वल्द सांवला जाति माली निवासी पिपलाज के खाते दर्ज है। Exp5 नामा0सं0 201/03.08.91 खातेदार प्रताप का फौती इंतकाल है, इस नामा0 में पटवारी हल्का ने का0नं0 16 में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " महोदय, खातेदार प्रताप को फौत हुये काफी अर्सा हो गया है मृतक के वारिस पत्नि छोटीबाई है अतः मृतक के बजाए वारिसान के नाम इंत0 तस्दीक फरमावें नामा0 पेनेल्टी योग्य है। " उक्त रिपोर्ट पटवारी के आधार पर दि0 3.8.91 को तहसीलदार खानपुर द्वारा यह नामान्तकरण मृतक प्रताप के स्थान पर कंवरीबाई पुत्री एवं छोटीबाई बेवा के नाम हि0ब0 से प्रमाणित किया गया है। इसका अंकन Exp3 नकल जमाबंदी सं0 2045–48 खाता सं0 68 में किया गया है कि " इं.नं. 201/03.08.91से मृतक के बजाय कंवरीबाई पुत्री प्रताप व छोटीबाई बेवा प्रताप का नाम हि.ब. दर्ज हुआ" इसके साथ ही यह भी नोट अंकित है " मृतक प्रताप के वारिस बेवा छोटीबाई 1. पुत्री कंवरीबाई 2. पुत्री का पुत्र जगदीश शिवप्रसाद " अर्थात इस नामान्तकरण को दर्ज एवं प्रमाणित करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का, सर्किल कानूनगो एवं तहसीलदार ने ग्रामवासीयान पिपलाज व ग्राम पंचायत पिपलाज से मृतक प्रताप के वारीसान की तहकीकात नहीं की है और न ही संबंधित पक्षकारान की कोई सुनवाई की है। नकल जमाबंदी Exp3 में नामा0सं0 201 में पारित आदेश के विपरीत " इं.नं. 201/03.08.91

उपखण्ड अधिकारी

से मृतक के बजाय कंवरीबाई पुत्री प्रताप व छोटीबाई बेवा प्रताप का नाम हि.ब. दर्ज हुआ, मृतक प्रताप के वारिश बेवा छोटीबाई 1. पुत्री कंवरीबाई 2. पुत्री का पुत्र जगदीश शिवप्रसाद " नोट अंकित होने से यह प्रकट होता है कि नामा0सं0 201 में मृतक प्रताप के सभी वारिसान के नाम नहीं आये हैं। Exp15 नामा0सं0 246 ग्राम देवपुरा है जिसमें का0नं0 16 में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " खातेदारान में से छोटीबाई दि0 3.11.95 को फौत हो चुकी है, उसकी एक मात्र लडकी कवरबाई मौजूद है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार खानपुर ने दि0 18.12.95 इस नामा0 को प्रमाणित कर मृतक छोटीबाई का नाम हटाये जाने का निर्णय पारित किया है। Exp4 नकल जमाबंदी सं0 2049–52 की खाता सं0 26 में कंवरीबाई पुत्री प्रताप व छोटी बाई बेवा प्रताप कौम माली खातेदार दर्ज है तथा यह नोट अंकित है कि इं0 न0 246/18.12.95 से मृतक छोटीबाई का नाम हटाया जाना स्वीकार। इस नामान्तकरण सं0 246 को दर्ज एवं प्रमाणित करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का, सर्किल कानूनगो एवं तहसीलदार ने ग्रामवासीयान पिपलाज व ग्राम पंचायत पिपलाज से मृतक छोटीबाई के वारीसान की तहकीकात नहीं की है और न ही संबंधित पक्षकारान की कोई सुनवाई की है। Exp2 नकल जमाबंदी सं0 2065–68 ग्राम देवपुरा खाता सं0 16 में ख0नं0 73 की 3.06 बीघा आराजी कंवरीबाई पुत्री प्रताप कौम माली के खाते दर्ज है।

Exp11 नकल सेटलमेंट जमाबंदी सं0 2028–47 ग्राम पिपलाज की खतौनी सं0 253 है, जिसमें ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा कुल 2 किता की 6.12 बीघा आराजी प्रताप वल्द सांवला जाति माली निवासी पिपलाज के खाते दर्ज है। ग्राम पिपलाज की ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा आराजी छोटीबाई बेवा प्रताप माली को दि0 8.1.83 को आवंटित होकर Exp12 नामा0सं0 299 से गैरखातेदारी में दर्ज हुई हुई है तथा Exp14 नामा0सं0 854 से छोटी बेवा प्रताप को खातेदारी दी गयी है। Exp8 नकल जमाबंदी सं0 2052–55 ग्राम पिपलाज की खतौनी सं0 137 व 138 है, जिसमें ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा कुल 2 किता की 6.12 बीघा व ख0नं0 301 की 0.19 बीघा आराजी मु0 छोटी बेवा रामप्रताप माली सा0दे0 के खाते दर्ज है तथा इसमें इं0नं0 771 दि0 18.12.95 से मृतक छोटीबाई के स्थान पर कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। Exp13 नकल जमाबंदी सं0 2052–55 ग्राम पिपलाज की खतौनी सं0 478 है, जिसमें ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा आराजी मु0 छोटी बेवा रामप्रताप माली सा0दे0 के गैर खातेदारी में दर्ज है, इसमें इं0नं0 771 दि0 18.12.95 से मृतक छोटीबाई के स्थान पर कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप माली का नाम दर्ज होने व इं.नं. 854/2.9.98 से खातेदारी दर्ज करने का नोट अंकित है। Exp6 नामा0सं0 771/18.12.95 मृतक खातेदार छोटी का फौती इंतकाल ग्राम पिपलाज की खतोनी सं0 125 की 2 किता रकबा 6.12 बीघा, खतौनी सं0 126 की 0.19 बीघा, खतौनी सं0 446 की 5.02 बीघा के संबंध में है, इस नामा0 में पटवारी हल्का ने का0नं0 16 में अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " महोदय, मु0 छोटी दि0 3.11.95 को फौत हो चुकी है। उसकी एक मात्र लड़की कंवरीबाई मौजूद है। लड़का नहीं है। उक्त रिपोर्ट पटवारी के आधार पर दि0 18.12.95 को तहसीलदार खानपुर द्वारा यह नामान्तकरण मृतक छोटीबाई के स्थान पर कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप के नाम प्रमाणित किया है। Exp10 नकल जमाबंदी सं0 2056–59 ग्राम पिपलाज की खतौनी सं0 82 है, जिसमें ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 301 की 0.19 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा, ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा कुल 4 किता की 12.13 बीघा आराजी कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप माली सा0दे0 के खाते दर्ज है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राम देवपुरा व ग्राम पिपलाज की उपरोक्त समस्त आराजियात रामप्रताप व छोटीबाई के खाते की है तथा उनकी मृत्यु के बाद यह कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप के खाते दर्ज हुई है। वादीगण अपने आप को रामप्रताप व छोटीबाई की पुत्री भंवरीबाई की संतान बताते हुये इस आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित करने का यह वाद लेकर आये हैं। वादी शिवप्रसाद अपने बयानों की जिरह में कहता है कि प्रताप जी के दो लड़किया कंवरीबाई व दूसरी भंवरीबाई मेरी मां थी। इसी प्रकार वादी का गवाह श्रीलाल पुत्र मथरालाल जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी पिपलाज अपने बयानों की जिरह में कहता है कि " प्रताप जी की औरत का नाम छोटीबाई था, उसकी पुत्रियां कंवरीबाई व भंवरीबाई थी। प्रताप जी के तीन लड़के थे रामकिशन के अलावा दोनों लड़के छोटी–छोटी उम्र में फौत हो गये थे। रामकिशन शादी शुदा था

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

लेकिन उसके पिता की मृत्यु से पहले ही मर गया था। रामकिशन मरा तब उसकी उम्र 18–20 साल थी । प्रताप जी मरे तब उनकी उम्र 60–70 साल थी और भंवरीबाई मरी उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी। भंवरीबाई की खानपुर में शादी करी थी उनके पति का नाम गोगाजी था। प्रताप जी के मरने के बाद आराजी को कंवरीबाई, छोटीबाई व शिवप्रसाद काश्त करता था। छोटीबाई के मरने के बाद कंवरीबाई व शिवप्रसाद काश्त करते थे। गवाह श्रीलाल आगे यह भी कहता है कि इनके ग्राम पिपलाज में 12 बीघा व नयागांव में 3 बीघा जमीन है। " इससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण का गवाह श्रीलाल जाट निवासी पिपलाज जिसकी उम्र 70 वर्ष है, रामप्रताप व उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता है।

वही प्रति0नं0 रमेश उर्फ अशोक कुमार उम्र 56 साल अपने बयानों की जिरह में कहता है कि " प्रताप जी मेरे नानाजी लगते थे उनकी पत्नि का नाम छोटीबाई था, प्रताप के रामकिशन लड़का व लड़की कंवरीबाई व भंवरीबाई होगी, मैंने भंवरीबाई को नहीं देखा। देवपुरा के खाते में प्रताप जी के मरने के बाद कंवरीबाई, भंवरीबाई, छोटीबाई का नाम दर्ज हो रहा हो तथा जमाबंदी में जगदीश व शिवप्रसाद भंवरी के पुत्रों का नाम हो तो मुझे पता नहीं है। यह अपने बयानों में आगे कहता है कि मैंने शिवप्रसाद व जगदीश का नाम हटाने की कोई कार्यवाही नहीं करी। हमने इस जमीन को एक बार हांका था। सन् 2012 के बाद हांका था।

प्रतिवादी का गवाह हेमराज माली निवासी पिपलाज अपने बयानों की जिरह में कहता है कि मैंने प्रताप उर्फ रामप्रताप को नहीं देखा मुझे यह भी पता नहीं कि प्रतापजी के कितने लड़के लड़कियां थी। यह अपनी जिरह में आगे यह भी कहता है कि आराजी मुतनाजा को रमेश, भूपेंद, बद्रीलाल ने कभी भी काश्त नहीं किया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार खातेदार प्रताप उर्फ रामप्रताप व छोटीबाई के दो लड़किया भंवरीबाई व कंवरीबाई होना प्रकट है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में इनका आधा–आधा हिस्सा बनता है। आराजी को वादीगण द्वारा काश्त करना भी प्रकट होता है। इस प्रकार वादीगण का भंवरीबाई के वारिस होने से इनका इस आराजी में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 कंवरीबाई के वारीस होने से इनका भी इस आराजी में 1/2 हिस्सा कानूनन बनता है और अपने–अपने इस हिस्से को यह प्राप्त करने के अधिकारी है। ग्राम देवपुरा का नामा0सं0 201, 246 एवं ग्राम पिपलाज का नामा0 सं0 771 को प्रमाणित करते समय पीठासीन अधिकारी ने प्रताप उर्फ रामप्रताप व छोटीबाई के वारीसान की ग्रामवासीयान पिपलाज एवं ग्राम पंचायत पिपलाज में कोई तहकीकात नहीं की और न ही इनके वारीसान को सुनवाई का अवसर दिया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों की अवहेलना हुई है। ऐसे में यह नामान्तकरण शून्य घोषित होने योग्य है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2. आया वाद की मद नं0 1, 2, 3, 4 में वर्णित आराजी का कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा शामिल में कब्जे में चली आ रही है ? – वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस संबंध में तनकी नं0 1 में विस्तृत विवेचन हो चुका है। ऐसे में यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3. आया कंवरीबाई के वारीसान में भूपेंद्रकुमार को बद्रीलाल को रामस्वरूप कहते है ? – प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। इससे यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

4. आया जमाबंदी संख्या 68 संवत् 2045–48 में लगाया गया नोट बाद में बढ़ाया गया है। यह हॉ तो इसका वाद पर क्या प्रभाव होगा ? – प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि जमाबंदी संख्या 68 संवत् 2045–48 में लगाया गया नोट बाद में बढाया गया हो। ऐसे में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5. आया वाद कारण 20.02.2012 को उत्पन्न नहीं हुआ है ? – प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिये कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

6. आया वाद प्रताप उर्फ रामप्रताप के एवं छोटी के वारिसान से संबंधित है। अतः वाद दीवानी न्यायालय के श्रवणनीय है ? – प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस वाद को दिवानी न्यायालय के श्रवणनीय होने के संबंध में अपने जवाबदावे में उल्लेख किया है किन्तु इस संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। वहीं वादीगण का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। ऐसे में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी एवं पक्ष में वादी निर्णित की जाती है।

7. आया नामान्तरकरण सं0 201, 246, 299, 771 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करने से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ? – प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। नामान्तरकरण सं0 201, 246, 299, 771 के संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी सं0 1 में किया जा चुका है। ग्राम पिपलाज के नामा0सं0 299 से ग्राम पिपलाज की ख0नं0 1467 रकबा 5.02 बीघा आराजी छोटीबाई बेवा प्रताप को आवंटित होकर गैरखातेदारी में दर्ज हुई है। शेष ग्राम देवपुरा का नामा0सं0 201, 246 व ग्राम पिपलाज का नामा0सं0 771 विरासत के नामान्तकरण हैं जिनको प्रमाणित करते समय संबंधित पीठासीन अधिकारी को मृतक खातेदार प्रताप व मृतक खातेदार छोटीबाई के वारीसान की जांच मौके पर जाकर ग्रामवासीयान पिपलाज एवं ग्राम पंचायत पिपलाज से करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है और न ही इनको प्रमाणित करते समय संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है। इन नामान्तकरणों से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार सृजित नहीं होते। ऐसे में नामा0सं0 201, 246 व 771 वादीगण के अधिकारों पर प्रारंभतः शून्य हैं। जब यह नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों पर प्रारंभतः शून्य है तो इनकी अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक भी नहीं है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी एवं पक्ष में वादीगण निर्णित की जाती है।

8. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी 1 लगा0 5 का कंवरीबाई के फौत होने के बाद में बहैसियत खातेदार काबिज हैं, इसका क्या प्रभाव है ? – प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार हों। अपितू Exp2 नकल जमाबंदी सं0 2065–68 ग्राम देवपुरा खाता सं0 16 में ख0नं0 73 की 3.06 बीघा व Exp9 नकल जमाबंदी सं0 2064–67 ग्राम पिपलाज खतौनी सं0 25 में ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 301 की 0.19 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा, ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा कुल 4 किता की 12.13 बीघा आराजी कंवरीबाई पुत्री रामप्रताप माली सा0दे0 के खाते दर्ज है। यहां दौराने सुनवाई खातेदार कंवरीबाई का फौत होना प्रकट हुआ है किन्तु कंवरीबाई

उपखण्ड अधिकारी

का फौती नामान्तकरण खुलने का साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं आया हैं। वही प्रतिवादी रमेश उर्फ अशोककुमार अपने बयानों की जिरह में यह कहता है कि हमने इस जमीन को एक बार हांका था। सन् 2012 के बाद हांका था। वहीं प्रतिवादी का गवाह हेमराज माली अपने बयानों की जिरह में कहता है कि यह बात सही है, आराजी मुतनाजा को रमेश, भूपेंद्र, बद्रीलाल ने कभी भी काश्त नहीं किया शिवप्रसाद व रमेश वगैरह ने मुझसे पहले आराजी मुतनाजा को काश्त किया होगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी एवं पक्ष में वादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने अपनी तनकीयात को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। वहीं प्रतिवादीगण अपनी तनकीयात को साबित करने में विफल रहे हैं।

अतः वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम देवपुरा की जमाबंदी सं0 2065–68 खाता सं0 16 की ख0नं0 73 की 3.06 बीघा व ग्राम पिपलाज की जमाबंदी सं0 2064–67 खाता सं0 25 की ख0नं0 300 की 2.07 बीघा, ख0नं0 301 की 0.19 बीघा, ख0नं0 1122 की 4.05 बीघा, ख0नं0 1467 की 5.02 बीघा कुल 4 किता की 12.13 बीघा आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/2 में संम्भाग से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण के 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है व ग्राम देवपुरा के नामा0सं0 201, 246, ग्राम पिपलाज का नामा0सं0 771 को वादीगण के अधिकारों के प्रति बेअसर घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार खानपुर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी में आने–जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। वादी विभाजन की डिक्री हेतू स्टॉम्प प्रस्तुत करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 10/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)